109

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 411–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2002 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 79/2001–02 निगरानी

1– श्रीमती मन्नोवाई पत्नि स्व.तहसीलदार सिंह

2– पूजा नावालिग 3– गुडडी नावालिग

दोनों पुत्रियां स्व.तहसीलदार सिंह सरपरस्त

माता श्रीमती मन्नोवाई

4– नरेश सिंह 5– राजू सिंह 6– गजेन्द्रसिंह

7– उपेन्द्रसिंह सभी पुत्रगण जण्डेल सिंह

सभी निवासी ग्राम लोधे की पाली

तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती किशोरीवाई पत्नि स्व.पूरन सिंह

निवासी ग्राम लोधे की पाली

तहसील गोहद जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 2 – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 79/2001–02 निगरानी में पारित आदेश

दिनांक 30.12.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व.तहसीलदार सिंह एंव अन्य आवेदकगण ने तहसीलदार गोहद को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्रामा लोधे की पाली स्थित भूमिसर्वे कमांक 1187 रकबा .397 है. में से मिन रकबा .198 है. , स.क. 339 रकबा .523 हैक्टर, सर्वे कमांक 1091 रकबा .627 है. , स.क. 750 रकबा 1.620 है. , 757 रकबा 4.244 हैक्टर में से मिन रकबा 3.271 हैक्टर, 984 रकबा .250 हैक्टर , 722 रकबा .115 है. , 724 रकबा 1.087 है. , 752 रकबा 1. 463 है. , 1028 रकबा .961 है. 1155 रकबा .617 है. के भूमिस्वामी पंचम सिंह पुत्र गुलाबसिंह थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में 25-7-94 को बसीयतनामा संपादित किया है एंव प्रार्थीगण को चल-अचल संपत्ति प्रदान करते हुये वारिस नियुक्त किया है अब उनकी 29-12-97 को मृत्यु हो चुकी है इसलिये बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार गोहद ने प्रकरण कमांक 7/97-98 अ 6 दर्ज किया जिसमें महिला किशोरी वाई व्छारा आपत्ति की गई । तहसीलदार गोहद ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-5-2000 पारित किया तथा पंचम सिंह पुत्र गुलाबसिंह के स्थान पर उसके दोनों पुत्र जन्डेल सिंह एंव पूरन सिंह(मृत होने से वारिस पत्नि किशोर) मृतक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील कमांक 17/99-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30.12.2000 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-5-2000 निरस्त कर

प्रकरण पक्षकारों की पुर्नसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के यहॉनिगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 79/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दि0 30.12.02 अनुविभागीय अधिकारी, गोहद का आदेश दिनांक 30.12.2000 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-5-2000 स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 7/97-98 अ 6 एंव अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण कमांक 17/99-2000 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि मृत भूमिस्वामी पंचम सिंह का अनावेदक जन्डेल सिंह पुत्र है एंव श्रीमती किशोरीवाई दूसरे मृत पुत्र पूरन सिंह की विधवा पत्नि है। विचार योग्य है कि जब खातेदार पंचमसिंह के निजी पुत्र एंव पुत्रबधु मौजूद हैं वह उन्हें संपत्ति से बंचित कर अन्य के हित में बसीयत क्यों करेगा। तहसीलदार गोहद ने बसीयत की जांच साक्ष्य लेकर की है एंव निष्कर्षित किया है कि बसीयत बनावटी एंव फर्जी है फिर उसी बसीयत की दुवारा जांच के लिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण वापिस लौटाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार सिविल न्यायालय की डिक्री के संबंध में किया गया आक्षेप भी सही नहीं है क्योंकि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24-5-2000 में डिक्री का उल्लेख कर ही आदेश पारित किया है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी गोहद का आदेश दिनांक 30.12.2000

वास्तविकता पर आधारित होना नहीं पाये जाने से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 79/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दि0 30.12.02 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर